



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25082021-229216
CG-DL-E-25082021-229216

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3181]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 25, 2021/भाद्र 3, 1943

No. 3181]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 25, 2021/BHADRA 3, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2021

का.आ. 3471(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, NH765DG के, पेव्ड शोल्डर के साथ दो/चार लेन में उन्नयन हेतु तेलंगाना राज्य के, कि.मी. 88.010 से कि.मी. 116.190 तक (NH765DG) के लिए रेवेन्यू डिवीज़न ऑफिस हुसनाबाद, सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट, कि.मी. 116.190 से कि.मी. 137.132 तक (NH765DG) के लिए, रेवेन्यू डिवीज़न ऑफिस वारंगल, वारंगल अर्बन डिस्ट्रिक्ट को, उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गांवों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH765DG "इपीसी मोड के तहत 2/4 लेन के चौड़ीकरण पेव्ड शोल्डर्स के साथ सिद्दीपेट-एल्कातुर्थी सेक्शन पर कि.मी. 70/00 से कि.मी. 137.132 तक" पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7

1	रेवेन्यु डिविशनल ऑफिसर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH765DG के कि.मी. 88.01 से 116.19 तक	तेलंगाना	सिद्दीपेट	कोहेडा	1 बसवापुर 2 समुद्राला
					हुसनाबाद	1 पंडिल्ला 2 कुचनपल्ली 3 हुसनाबाद 4 पोथाराम(एस) 5 उम्मापुर
2	रेवेन्यु डिविशनल ऑफिसर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH765DG के कि.मी. 116.19 से 137.132 तक	तेलंगाना	वारंगल अर्बन	हसनपार्थी	1 अनंतासागर
					भीमादेवरपल्ली	1 वांगरा 2 गटलानरसिंगापुर 3 मुलकानूर 4 भीमादेवरपल्ली 5 कोठापल्ली

[फा. सं. Lr.No.G1/3399/2018]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2021

S.O. 3471(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of Km. 88.010 to Km. 116.190 of Revenue Division office Husnabad, Siddipet District (NH765DG) , and Km. 116.190 to Km. 137.132 of Revenue Division office Warangal, Warangal Urban District (NH765DG) in the State of TELANGANA.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH765DG "Widening to 2/4 lane with Paved Shoulders of Siddipet-Elkathurthy section of from Km. 70/0 to Km. 137/132 on EPC mode" in the State of TELANGANA

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Revenue Divisional officer	88.01KM To 116.19KM	TELANGANA	SIDDIPET	Koheda	1 Baswapur 2 Samudrala

					Husnabad 1 Pandilla 2 Kuchanpally 3 Husnabad 4 Potharam (S) 5 Ummapur
2	Revenue Divisional officer	116.19KM To 137.132KM	TELANGANA	WARANGAL URBAN	Hasanparthy 1 Ananthasagar Bheemadevarpalli 1 Vangara 2 Gatlanarsingapur 3 Mulkanoor 4 Bheemadevarpalli 5 Kothapalle

[F. No. Lr.No.G1/3399/2018]

RAJESH GUPTA, Director